न्यायालय अपर कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस0

पंचायत आवेदन पत्र संख्या 03/2015

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीण
भगवती देवी पत्नी हरीदास जाति संत निवासी सोनारों का मोहल्ला गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		1. ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल जाति संत निवासी सोनारों का मोहल्ला गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 2. ग्राम पंचायत गुड़ामालानी जरिये सरपंच

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत् निरस्त करने पट्टा दिनांक 2.11.1977 जो ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थितः– 1. प्रार्थी उपस्थित।
2.विप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित।

निर्णय दिनांक 22.6.2016

1. प्रार्थीनी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 के नाम जारी भूखण्ड का पट्टा दिनांक 2.11.1977 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में प्रार्थीनी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 को सोनारों का वास गुड़ामालानी में स्थित भूखण्ड का पट्टा राज. पंचायती सामान्य नियम 1961 के तहत नियमों के विपरीत दिनांक 2.11.1977 को जारी किया गया, जबकि उक्त संयुक्त परिवार के भूखण्ड पर प्रार्थीनी के परिवार का कब्जा होने के कारण विप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा को निरस्त किया जावें।
3. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये एवं ग्राम पंचायत गुड़ामालानी से निगरानी से संबधित रेकर्ड तलब किया।
4. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केम्प कोर्ट गुड़ामालानी में प्रस्तुत हुई, जिसके लिये अभय पक्ष के अभिभाषकगण एवं पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्राथीर्नी एवं विप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित रहे।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

5. प्रार्थीनी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत गुड़ामालानी ने विप्रार्थी संख्या 01 को उक्त पट्टा राज. पंचायती सामान्य नियम 1961 के तहत निर्धारित प्रावधानों की पालना नहीं कर विप्रार्थी को निजी लाभ पहुंचाने के लिए जारी किया गया है। उक्त जारी किये गये पट्टा से सम्बन्धित किसी प्रकार का रिकार्ड ग्राम पंचायत गुड़ामालानी के पास उपलब्ध नहीं है। अतः विप्रार्थी संख्या 01 को जारी किया गया पट्टर निरस्त किया जावें।

6. विप्रार्थी संख्या 01 ने जाहिर किया कि ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है, उस पर कब्जा व मालिकाना हक उसका है। प्रार्थीनी द्वारा अनावश्यक रूप से इस संबध में विवाद किया जा रहा है। ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा तत्समय पचायती राज विभाग के नियमो के अनुसार पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1977 में पट्टां जारी किया गया, निगरानी 2015 में पेश की गई है। इतनी लम्बी अवधि पश्चात पेश की गई निगरानी निरस्त की जावें।

7. हमने उभय पक्ष को सुना। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं विश्लेषण किया। ग्राम पंचायत गुड़ामालानी के पत्र संख्या 103 दिनांक 21.2.2015 अनुसार ओमप्रकाश पुत्र मोहनदास के नाम जारी पट्टा मिसल 1977 से सम्बन्धित कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत के पास विवादग्रस्त पट्टे से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने से यह निर्णय किया जाना कठिन है कि विप्रार्थी संख्या 01 को तत्समय जारी किया गया पट्टा निर्धारित प्रावधानो की पालना की जाकर जारी किया गया था अथवा नहीं? प्रार्थीनी द्वारा उक्त विवादग्रस्त पट्टे से सम्बन्धित भूखण्ड पर अपना कब्जा होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया, जिससे यह साबित हो कि प्रार्थीनी का पुश्तैनी कब्जा उक्त पट्टा से सम्बन्धित भूखण्ड पर है। विप्रार्थी संख्या 01 को पट्टा वर्ष 1977 में जारी किया गया एव निगरानी वर्ष 2015 में पेश की गई, जिसका कोई दस्तावेजी आधार नहीं है।

8. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्राथीर्नी की निगरानी आधारहीन होने से खारिज की जाकर ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 2.11.1977 को यथावत रखा जाता है।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अपर कलक्टर,बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

आदेश खुले केम्प कोर्ट गुड़ामालानी में आज दिनांक 22.6.2016 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर,बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)